स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई.)

स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना 01–04–1999 से ग्रामीण विकास विभाग मन्त्रालय केन्द्र सरकार द्वारा शुरू की गई जिसमें केन्द्र सरकार द्वारा 75 प्रतिशत तथा राज्य सरकार द्वारा 25 प्रतिशत शेयर हाता है। इसका उददेश्य गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को छोटे–छोटे धन्धे व लघु उद्योग के जरिये स्वरोजगार उपलब्ध कराकर गरीबी रेखा से उपर उठाना है। स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना में व्यक्तिगत तौर पर व्यवसाय प्रारम्भ करने के साथ–साथ सामूहिक दृष्टिकोण अपनाने पर भी जोर दिया गया है। इसके अन्तर्गत गरीब व्यक्ति स्वयं सहायता समूहों में इक्कटठे होकर कार्य करते हैं, प्रत्येक स्वयं सहायता समूहों में महिला सदस्यों को प्राथमिकता दी गई, जिसके अच्छे परिणाम सामने आये हैं। एक स्वयं सहायता समूह में गरीबी रेखा से नीचे परिवारों के 10 से 20 सदस्य हो सकते हैं, जो सभी पुरूष भी हो सकते हैं या सभी महिलाएं भी हो सकती हैं और महिला व पुरूष दोनों संयुक्त भी हो सकते हैं। दिनांक 01–04–199 से मार्च 2009 तक जिले में कुल 1437 स्वयं सहायता समूहों का गठन हुआ है, जिसमें से 1131 स्वयं सहायता समूहों की प्रथम ग्रेडिंग व 587 स्वयं सहायता समूहों की द्वितीय ग्रेडिंग हो चुकी है।

स्वयं सहायता समूहों द्वारा ऋण प्राप्त करके **केंचुए की खाद, पापड़, बड़ियां, गर्म मसाले,दलिया, जूतियां, खेस एवं दरी, मूढ़े एवं चटाई, जूट का सामान, टैडी बीयर (खिलौने) स्कूल बैग, लेडिज सूट, सैनेटरी नैपकीन, बागवानी, सब्जियां उत्पादन, सीमेंट की जाली, साबुन, सर्फ, मोटर बाईंडिंग, सिलाई–कढ़ाई, आचार–मुरब्बा, आर्टिफिशियल ज्वैलरी** इत्यादि उत्पादों का उत्पादन किया जा रहा है। **विशेषकर स्कीम के तहत स्वच्छ नैपकीन पैड बनाने के** लिए स्वयं सहायता के सदस्यों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें 13 स्वयं सहायता समूहों के लगभग 80 सदस्यों को प्रशिक्षित किया जा चुका है, जिससे आने वाले समय में वह आम लोगों को स्वच्छता के महत्व के बारे में भी जागरूक करतें हुए अपना स्वयं का रोजगार प्राप्त करके अपनी जीवन शैली के स्तर में भी सुधार कर सकेंगें।

इस योजना में एक बार ऋण देने के बजाय बार–बार ऋण देने पर बढ़ावा दिया गया है। अतः नये ग्रुपों के गठन के 6 माह बाद 10000–00 रू0 चक्रीय फण्ड तथा 15000–00 रू0 बैंक लोन देकर स्वयं सहायता समूह अपना स्वरोजगार शुरू करते है। 6 मास बाद बैंक का लोन पूरा होने पर स्वयं सहायता समूह को अधिकतम 1.25 लाख रू0 अनुदान तथा 1.25 से 2.00 लाख रू0 बैंक फण्ड दिया जाता है, इसके अतिरिक्त समूहों को ऋण में मिली सहायता के साथ–साथ समूहों का जीवन बीमा भी स्वयं हो जाता है।

स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना ;एस.जे.एस.आर.वाई.द्ध

बढ़ती जनसंख्या का अन्तर सबसे ज्यादा शहरी क्षेत्रों पर पड़ा है। बढ़ता शहरीकरण, नई–नई स्लम बस्तियों की स्थापना, गांवों से शहरों की तरफ लोगों के आने से दिन प्रतिदिन शहरी क्षेत्रों में गरीब परिवारों की संख्या बढ़ती जा रही है एवं इसी के साथ सरकार द्वारा समय समय पर विभिन्न शहरी उन्मूलन कार्यक्रम भी चलाये जा रहे हैं। स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना भी इस कार्यक्रम का एक हिस्सा है। यह स्कीम भारत सरकार द्वारा 01 दिसम्बर 1997 से सभी राज्यों में पुरानी सभी शहरी गरीबी उन्मूलन स्कीमों को खत्म करके शुरू की गई थी। उपरोक्त स्कीम में 75 प्रतिषत राषि भारत सरकार द्वारा एवं 25 प्रतिषत राषि राज्य सरकार द्वारा संचालित की जाती है। इस योजना का उददेष्य शहरी क्षेत्रों में गरीब परिवारों का समुचित विकास/उद्घार करना है। जैसे कि उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करना, उनके रहन सहन के स्तर में सुधार लाना, उनकी बस्तियों में सभी मूलभूत सुविधाओं को पहुॅचाना, महिलाओं एवं बच्चों को उचित सम्मान देना आदि। पुरानी योजनाओं के क्रियान्तरण में गरीबों की भागीदारी ज्यादा नहीं होती थी परन्तु स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना पूर्णतयाः सामुदायिक संरचना पर आधारित है। इस योजना के दो प्रमुख भाग हैं :–

1. शहरी रोजगार कार्यक्रम ;यूएसईपीद्ध

2. शहरी मजदूरी रोजगार योजना ;यूडब्ल्यूईपीद्ध

शहरी रोजगार कार्यक्रम ;यूएसईपीद्ध के भाग हैं–

क. स्वरोजगार हेतू ऋण योजना

ख. प्रषिक्षण

ग. डवाकुआ समूह

घ. प्रषिक्षण ऋण एवं बचत समूह ;थ्रिफट एवं क्रेडिट सोसायटीद्ध

नोट– इस स्कीम के तहत वर्ष 2007–08 में मुख्यालय से 59.58 लाख रू0 प्राप्त हुए हैं जिनमें से 55.94 लाख रू0 की राषि खच्र की गई। इस स्कीम के तहत 221 लाभार्थियों को ऋण तथा 225 प्रषिक्षणार्थियों को प्रषिक्षण दिया गया व 08 स्वयं सहायता समूहों को ऋण वितरण किया गया।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना ;नरेगाद्ध

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना दिनांक 01–04–2008 से ग्रामीण विकास विभाग द्वारा केन्द्र सरकार द्वारा शुरू की गई है। इस योजना में ग्रांट का शेयर केन्द्र सरकार का 75 प्रतिषत व राज्य सरकार का 25 प्रतिषत होता है। इस योजना के तहत गांव में रह रहे परिवारों को एक वर्ष में 100 दिन का रोजगार दिलाना आवष्यक है। इसके अन्तर्गत पहले जॉब कॉर्ड बनाया जाता है। खण्ड स्तर पर बी0डी0पी0ओ0 व पी0ओ0 प्रत्येक खण्ड में इसके लिए डयूटी लगाई गई है कि वह प्रार्थी के आवेदन पत्र की जांच करके उचित पाये गये प्रार्थी का जॉब कॉर्ड बनायेंगे। इसके उपरान्त ही प्रार्थी को उपरोक्त स्कीम के तहत कार्य पर लगाया जायेगा। इसकी मजदूरी 135–00 रू0 प्रतिदिन होगी जो बैंक / डाकखाने के माध्यम से भुगतान की जाएगी।

सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान (टी0एस0सी0)

सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान स्कीम वर्ष 2003–2004 से शुरू की गई है। इस स्कीम में केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा क्रमशः 75 प्रतिश्त व 25 प्रतिशत ग्रांट दी जाती है। इसमें बी0पी0एल0 रेखा से नीचे रह रहे परिवारों के लिए निशुल्क स्वच्छ शौचालय बनाया जाना होता है। इसमें खण्ड स्तर पर बी0डी0पी0ओ0 की देख–रेख में स्वच्छ शौचालयों का निर्माण करवाया जाता है। इस स्कीम का मुख्य

उददेश्य गांव की गलियों नालियों तथा सार्वजनिक स्थानों की सफाई करवाकर स्वच्छ वातावरण मुहैया करवाना है और लोगों को साफ–सफाई के लिए जागरूक करके प्रत्येक गांव को खुले में शौच से मुक्त करना है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी सरकारी विद्यालयों में स्कूल हैल्थ क्लब का गठन किया गया है। टी0एस0सी0 मोटिवेटर्स , मीना मंच व स्कूल हैल्थ क्लब के सदस्यों द्वारा गांव में प्रभात फेरी, स्वच्छता रैली निकालकर जनता को स्वच्छता के प्रति जागरूक करके अपने गांव व कस्बा को खुले में शौच से मुक्त के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। स्कीम के तहत जिला कैथल की 07 पंचायतों को राज्य स्तर पर महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल द्वारा **निर्मल ग्राम पुरस्कार** से सम्मानित किया गया है। जिला प्रशासन द्वारा 15 अगस्त, 2009 को **खुले में शौच से मुक्ति दिवस** के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है, सभी ग्राम पंचायतें अपने–अपने गांव को खुले में शौच से मुक्त करते हुए इस दिन को खुले में शौच की गुलामी से मुक्ति दिवस के रूप में मनाएंगी। जिसमें विद्यालय के स्कूल हैल्थ क्लब के बच्चे, आंगनवाड़ी वर्कर, स्वच्छता मोटिवेटर्स तथा निगरानी समिति के सदस्य बढ़चढ़कर भाग लेंगे। 31 दिसम्बर, 2009 तक जिला कैथल को पूर्णतयाः **खुले में शौच से मुक्त** करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसको हासिल करने के लिए प्रशासन द्वारा भरसक प्रयास किये जा रहे हैं।

आओ मिलकर प्रण लें :– कि हमारा गांव हमारा गौरव है और हमारी शान है। हम अपने गांव को सम्पूर्ण स्वच्छ, सुन्दर और पूरी तरह से खुले में शौच मुक्त करने का संकल्प लेते हैं। हम प्रतिज्ञा करते हैं कि अपने गांव की छवि को निर्मल और इसके वातावरण को स्वच्छ एवं स्वस्थ बनाने के लिए हम हर सम्भव प्रयत्न करेंगें और हम होंगे कामयाब।

"जय हिन्द, जय स्वच्छता"

इन्दिरा आवास योजना ;आई0ए0वाई0द्ध

इन्दिरा आवास योजना के तहत गरीब परिवारों को भारत सरकार द्वारा मु0 35000–00 रू0 की राषि प्रदान की जाती है। यह राषि उसी लाभार्थी को दी जाती है, जिसका नाम बी0पी0एल0 सूची में दर्ज जो और मकान कच्चा होना चाहिए, पहले किसी भी सदस्य द्वारा इस स्कीम के तहत लाभ नहीं लिया गया हो। लाभार्थी को

स्कीम के तहत कालोनी के लिए राषि मु0 35000–00 सम्बन्धित बी0डी0पी0ओ0 के माध्यम से वितरित की जाती है, जो कि मकान बनाने से पहले 20000–00 रू0 लाथार्थी को दी जाती है और मु0 15000–00 रू0 की राषि मकान की छत पर आने उपरान्त दी जाती है।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना ;नरेगाद्ध

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना दिनांक 01–04–2008 से ग्रामीण विकास विभाग द्वारा केन्द्र सरकार द्वारा शुरू की गई है। इस योजना में ग्रांट का शेयर केन्द्र सरकार का 75 प्रतिषत व राज्य सरकार का 25 प्रतिषत होता है। इस योजना के तहत गांव में रह रहे परिवारों को एक वर्ष में 100 दिन का रोजगार दिलाना आवष्यक है। इसके अन्तर्गत पहले जॉब कॉर्ड बनाया जाता है। खण्ड स्तर पर बी0डी0पी0ओ0 व पी0ओ0 प्रत्येक खण्ड में इसके लिए डयूटी लगाई गई है कि वह प्रार्थी के आवेदन पत्र की जांच करके उचित पाये गये प्रार्थी का जॉब कॉर्ड बनायेंगे। इसके उपरान्त ही प्रार्थी को उपरोक्त स्कीम के तहत कार्य पर लगाया जायेगा। इसकी मजदूरी 135–00 रू0 प्रतिदिन होगी जो बैंक / डाकखाने के माध्यम से भुगतान की जाएगी।